रजिस्टर्ड नं० एल० ३८७

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 27 दिसम्बर, 1972
पौष 7, 1894 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग

संख्या 4423/सत्रह-वि0—1-149-72
लखनऊ, 27 दिसम्बर, 1972

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर दिनांक 24 दिसम्बर, 1972 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1972 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1972)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के पार्श्वशीर्षक में शब्द "अध्यक्ष और सभापति" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप-सभापति", रख दिये जायं और उसकी उपधारा (1) में शब्द, "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष" तथा शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "सभापति और उप-सभापति" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1952 की धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 निकाल दी जाय। धारा 3 का निकाला जाना

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में तथा उसके पार्श्व शीर्षक में शब्द "अध्यक्ष और सभापति" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप-सभापति" रख दिये जायें।

धारा 4-क का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 4-क निकाल दी जाय।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

6—उपाध्यक्ष तथा उप-सभापति प्रत्येक को 24 दिसम्बर, 1970 से प्रारम्भ होकर उस दिनांक, जब उन्हें मूल अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में परिवहन की व्यवस्था वास्तव में की गयी हो, के ठीक पूर्व के दिनांक तक की अवधि के लिये एक सौ पचास रुपये प्रति माह का परिवहन भत्ता दिया जायगा।

No. 4423(2)/XVII-V—1-149—1972

Dated Lucknow, December 27, 1972

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Adhikariyon Ke Vetan Tatha Bhatte) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 41 of 1972) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 1972:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (OFFICERS' SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) ACT, 1972

[U. P. Act No. 41 of 1972]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the U. P. State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Act, 1952.

It is hereby enacted in the Twenty-third year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1972.

Amendment of section 2 of U. P. Act XI of 1952.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act, in its marginal heading for the words "Speaker and Chairman", the words "Speaker, Chairman, Deputy Speaker and Deputy Chairman" shall be *substituted* and in sub-section (1) thereof for the words "the Speaker", the words "the Speaker and the Deputy Speaker" and for the words "the Chairman", the words "the Chairman and the Deputy Chairman" shall be *substituted.*

Omission of section 3.

3. Section 3 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act, for the words "The Speaker and the Chairman", the words "The Speaker, the Chairman, the Deputy Speaker and the Deputy Chairman" shall be *substituted* and in its marginal heading, for the words "Speaker and Chairman", the words "Speaker, Chairman, Deputy Speaker and Deputy Chairman" shall be *substituted.*

Omission of section 4-A.

5. Section 4-A of the principal Act shall be *omitted.*

Transitory provision.

6. The Deputy Speaker and the Deputy Chairman shall each be paid conveyance allowance of rupees one hundred and fifty per mensem for the period beginning from December 24, 1970, until the date immediately preceding the date on which conveyance was actually provided to him in pursuance of section 5 of the principal Act.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 336 गजट—1972—1982+200 (मे०)।